उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

संदेहात्मक जमावन्दी अभिलेख संख्या–13/2013–14

राज्य वनाम मंगर मियां वगैरह।

आदेश

20-11-17

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–1243/रा0 दिनांक 02–08–2016 से संदेहात्मक जमावन्दी अभिलेख संख्या–13/2013–14 राज्य वनाम मंगर मियां, मौजा–चौराही, अंचल–चन्दवारा, अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेशफलक पर मौजा–चौराही, खाता संख्या–41/76, प्लॉट नं0–00, रकवा–6.08 एकड़ भूमि की जमावन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अंचल अधिकारी, चन्दवारा के द्वारा जमावन्दी रैयत/उनके वारीसानों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई किया गया है। अभिलेख में अंचल अधिकारी, चंदवारा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चन्दवारा अंचल अन्तर्गत मौजा–चौराही, खाता संख्या–41/76, प्लॉट नं0–00, रकवा–6.08 एकड़ भूमि की पंजी–II की पृ0सं0–01/02 पर मंगर मियां पिता–अकल मियां के नाम से जमावन्दी कायम है। रसीद इन्द्राज नहीं है। प्रस्तावित भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। पक्षकार द्वारा जमावन्दी कायम होने का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। पंजी–II में जमावन्दी विना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर कायम की गई है, जो संदेहात्मक प्रतीत होता है।

अंचल अधिकारी, चन्दवारा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा राजस्व, निवंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13–05–2016 के आलोक में विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

अंचल अधिकारी, चन्दवारा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा के आलोक में उक्त जमावन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा से अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 06–8–2016 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि खाता नं0–41/76 मौजा–चौराही, थाना–चौपारण हाल थाना–चन्दवारा, जिला–हजारीवाग हाल जिला–कोडरमा सर्वे खतियान गैरमजरूआ खास दर्ज है, जिसके भूतपूर्व जमीन्दार कुमार कमख्या नारायण सिंह राजा रामगढ़ थे। खाता नं0–41/26, प्लॉट नं0–1062, रकवा–6.08एकड़ भूमि जिसकी चौहदी उत्तर–प्लॉट नं0–955, दक्षिण–नदी, पूरव–प्लॉट नं0–975, पश्चिम–प्लॉट नं0–1063, मौजा–चौराही की जमीन पर वर्ष 1946 के पूर्व मंगर मियां एवं उसके भाई दुल्लो मियां पिता अकल मियां का दखल कब्जा था तथा मंगर मियां एवं दुल्लो मियां के दखल कब्जा को देखते हुए रामगढ़ राज के राजा कुमार कामख्या नारायण सिंह में मंगर मियां के नाम से खाता नं0–41/76, प्लॉट नं0–1062, रकवा–6.08एकड़ भूमि वर्ष 1946 ई0 के वन्दोवस्त कर दिये तब से मंगर मियां वगैरह का उक्त वन्दोवस्तधारी जमीन पर लगातार दखल कब्जा चला आ रहा है। मंगर मियां एवं दुल्लो मियां अपने जीवन काल तक दखलकार रहे तथा उसके मृत्यु पश्चात उसके वारिशान दखलकार चले आ रहे है एवं वर्तमान समय में दखल–कब्जा है।

अतः मंगर मियां वगैरह के नाम से चल रहे जमावन्दी को कायम रखने और सरकारी रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा का कहना है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कागजात में छेडछाड़ किया गया प्रतीत होता है। अंचल अधिकारी, चंदवारा द्वारा अभिलेख में अंकित किया गया है कि खतियान के अनुसार भूमि गैर मजरूआ खास खाते की है। लगान रसीद निर्गत नहीं है। पंजी ए में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है।

पक्षकार के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में भूमि संवंधित कागजात पर्याप्त समय देने के बाद भी नहीं उपलब्ध कराया गया है। अतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई को सरकार के हित में न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षी द्वारा जमाबन्दी कायम होने से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। भूमि का लगान रसीद भी निर्गत नहीं किया गया है। अतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13–05–2016 से प्राप्त निदेश, सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा के विधिक मंतव्य एवं अंचल अधिकारी, चन्दवारा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा तथा अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा के आलोक में मौजा–चौराही, खाता संख्या–41/76, प्लॉट नं0–00, रकवा–6.08 एकड़ पर मंगर मियां वगैरह के नाम से कायम जमाबन्दी, Bihar Land Reform Act 1950 की धारा 4(h) के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेजें।

Details of Land:- मौजा–चौराही, खाता संख्या–41/76, प्लॉट नं0–00, रकवा–6.08एकड़।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त
कोडरमा।